



बिहार सरकार

जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय | GOPALGANJ
शिक्षा विभाग, बिहार सरकार, बिहार
प्रमाण पत्र



सेवा में

आवश्यक / स्वयंस्थापक / प्रबंधक
BIHAR VIKAS VIDYALAYA
VILL - KARMAINI MOHABBAT

विषय :- बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम (Right to Education -RTE), 2009 की धारा 18 के प्रयोजनार्थी बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा नियमावली के नियम 11 के उपनियम के अन्तर्गत विद्यालय की पस्तीकृति का प्रमाण पत्र।

महाशय,

आपके आवेदन पत्र दिनांक: 25-10-2021 और उसके इन में आपसे किये गये प्रत्यावार एवं विद्यालय के किये गए निरीक्षण एवं जिला स्तरीय विसदस्तीय समिति के बैठक दिनांक: 25-04-2022 में किये गए निर्णय के आलोक में आपके विद्यालय BIHAR VIKAS VIDYALAYA, VILL - KARMAINI MOHABBAT, KUCHAIKOTE, 841501 को कक्षा 1 से 8 तक संचालन हेतु तीन वर्ष 25-04-2022 से 25-4-2025 अवधि के लिए औपर्यंगिक प्रस्तीकृति प्रदान की जाती है।

प्रत्यक्ष प्रस्तीकृति निम्न शर्तों के अनुपालन के अधीन होगी।

1. प्रस्तीकृति किसी भी परिस्थिति में कक्ष 8 तक की सीमा के बाहर मान्य नहीं होगी।
2. विद्यालय बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम, 2009 तथा बिहार राज्य मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा नियमावली 2011 का अनुपालन आवश्यक रूप से सुनिश्चित करेगा।
3. विद्यालय अपनी कक्षा 1 में बच्चों के नामांकन की कुल क्षमता का 25 प्रतिशत बच्चों का नामांकन अपने पड़ोस के कमज़ोर वर्ग एवं गलाभकारी समूह के बच्चों का करेगा तथा उन्हें मुफ्त एवं अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा उसकी पूर्णता तक प्रदान करेगा, परन्तु यह कि वह विद्यालय में पूर्ण पाठ्यमिक कक्षाओं का संचालन हो रहा है, तो इस मानक का अनुपालन पूर्ण प्रायनिक कक्षा के लिए भी किया जाएगा।
4. कठिका 3 में उल्टत बच्चों के मामले में विद्यालय को बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम की धारा 12 की उपधारा 2 के आलोक में निर्धारित राशि की घटियत्व की जाएगी। प्रतिपूर्ति की जानेवाली राशि की प्राप्ति के लिए विद्यालय अलग से बैंक खाता का संधारण करेगा।
5. सोसाईटी / विद्यालय के द्वारा किसी प्रकार का कैपिटेशन फीस नहीं प्राप्त किया जाएगा तथा किसी भी बच्चा उसके माता-पिता या अभिभावक का स्क्रीनिंग टेस्ट नहीं किया जाएगा।
6. विद्यालय किसी बच्चे के नामांकन से उसके उम्र प्रमाण पत्र के अनुपलब्धता नामांकन की विस्तारित अवधि के बाद तथा धर्म, जाति, जन्म स्थान आदि कारणों या इसमें से किसी एक कारण के आधार पर इकार नहीं कर सकेगा।
7. विद्यालय के द्वारा निम्न कार्य सुनिश्चित किए जाएंगे :
 - (i) किसी भी नामांकित बच्चे को किसी भी कक्षा में रोककर नहीं रखा जाएगा और न ही किसी नामांकित बच्चा को प्रारंभिक शिक्षा पूरी होने तक विद्यालय से निष्कासित किया जाएगा।
 - (ii) किसी भी बच्चे को किसी प्रकार का धारीरिक दुःख नहीं दिया जाएगा तथा मानविक रूप से प्रताड़ित नहीं किया जाएगा।
 - (iii) किसी भी बच्चे को प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने के लिए किसी भी प्रकार के शोई परीक्षा पास करने की आवश्यकता नहीं होगी।
 - (iv) प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने वाला प्रत्येक बच्चा को नियम 22 के आलोक में प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा।
 - (v) अधिनियम के प्रावधारों के आलोक में दिव्यांग बच्चों का समावेशन किया जाएगा।
 - (vi) शिक्षकों का नियोजन अधिनियम की धारा 23 की उपधारा 1 में उनके लिए निर्धारित न्यूनतम योग्यता के अनुरूप किया जाएगा।
 - (vii) शिक्षक अधिनियम की धारा 24 की उपधारा 1 में प्रावधानित शिक्षकों के दायित्व का निर्वहन करेंगे।
 - (viii) शिक्षक नियोजित स्तर पर किसी भी प्रकार की शिक्षण गतिविधि में संलग्न नहीं होंगे।

8. विद्यालय केंद्र सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम एवं पाठ्यधर्यों का अनुसरण करेगा।
9. विद्यालय अधिनियम की धारा 19 के प्रावधानों के आलोक में उपलब्ध सुविधाओं के आनुपातिक रूप से छात्रों का नामांकन करेगा।
10. विद्यालय अधिनियम की धारा 19 में उद्दत मानकों एवं मानदण्डों को बरकरार रखेगा। विद्यालय के अंतिम निरीक्षण के रागत उपलब्ध सुविधाओं का विवरण निम्नवतः
- (I) विद्यालय परिसर के क्षेत्रफल :- 8093 डिसमील
 - (ii) कुल निर्मित क्षेत्र :- 8093 डिसमील
 - (iii) छेत्र के मैदान के क्षेत्र :- SPORTS, LIBRARY, WIFI, COMPUTER LAB, SCIENCE LAB, MATH LAB,
 - (IV) वर्ग कक्षों की कुल संख्या :- 35
 - (V) एधानाध्यापक-सह कार्यालय सह-भंडार कक्ष :- 2
 - (VI) वालक तथा बालिकाओं के लिये अलग-अलग शैक्षालय :- Indian, Boys :- 15, Girls 10
 - (VII) पैदल भौजन के लिये रसोई पर :- 0
 - (VIII) मध्याह्न भौजन के लिये रसोई पर :- 0
 - (IX) बाधारहित पट्टुएँ, [] :-
 - (X) शिक्षण अधिगम सामग्री/ खेल-कुद उपकरण/ पुस्तकालय :- NA, VOLLEYBALL, BASKET BALL, BOXING, JUDO, KARATE, BADMINTON, LUDO, CHESS, CRICKET, FOOTBALL, CAROM BOARD, SHOOTING, GYMNASTICS, TAEKWONDO, (Y, 999, NewsPaper Magazine:- 18)
11. कोई भी अपनीकृत वर्गका विद्यालय परिसर में या बाहर विद्यालय के नाम से संचालित नहीं होगा।
12. विद्यालय भवन अथवा अन्य संरचनाएँ अथवा मैदान का उपयोग केवल शिक्षा तथा कौशल विकास के लिए होगा।
13. विद्यालय सोसाईटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम, 1860 (1860 का 21) के अन्तर्गत निर्बंधित सोसाईटी के द्वारा अथवा किसी निर्धारित समय में लागू कानून के तहत गठित किसी पब्लिक ट्रस्ट के माध्यम से संचालित होगा।
14. विद्यालय किसी व्यवित, समूह अथवा व्यक्तियों के संघ अथवा किसी अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए संचालित नहीं होगा।
15. लेखा का अंकेणाण एवं उसका प्रमाणीकरण घार्टर एकाउन्टेंट के द्वारा किया जाएगा और निर्धारित नियमों के आलोक में उपर्युक्त लेखा विवरणी तैयार की जाएगी। पत्येक लेखा विवरणी की एक प्रति प्रतिवर्ष जिला शिक्षा अधीक्षक को भेजी जाएगी।
16. आपके विद्यालय को आवंटित प्रस्तीकृति कोड संख्या [217121920211025105614, 2021] है। इस कार्यालय से किसी प्रकार का प्रवाचार करने में इस कोड को अंकित एवं उद्धृत किया जाए।
17. निष्ठेक, प्राथमिक शिक्षा / जिला शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा समय-समाय "माँग किए गए प्रतिवेदन एवं सूचनाएँ, विद्यालय के द्वारा उपलब्ध कराई जाएंगी और राज्य सरकार के स्तर से प्रस्तीकृति की धर्ती के संगतार रूप से पूछा करने की सुनिश्चितता हेतु अथवा विद्यालय संचालन से संबंधित कठिनाईयों को दूर करने हेतु समय-समय पर निर्गत अनुदेशों का अनुपालन विद्यालय के द्वारा किया जाएगा।
18. यदि सोसाईटी के निवधन के नदीकरण की किसी प्रकार की आवश्यकता है तो उसे सुनिश्चित किया जाए।
19. अनुलग्नक III के रूप में संतरन अन्य शर्त

RMCW
30/4/21

माँग/सूचना

जिला कार्यक्रम पदाधिकारी
(प्राथमिक एवं सर्व शिक्षा अभियान)
गोपालगंज

विद्यालय भाजन
प्र० ०५२०१०
जिला शिक्षा पदाधिकारी, GOPALGANJ
गोपालगंज